कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
दूरभाष: 07412 - 235149
ई-मेल hegaaspgcrat@mp.gov.in
pgcolrtm@hotmail.com

महिला सशक्तिकरण नीति

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना

2. महिला सशक्तिकरण नीति.

3. यौन उत्पीड़न क्या है?

4. प्रकोष्ठ तक कौन पहुंच सकता है तथा प्रकोष्ठ किस की सहायता कर सकता है?

5. शिकायत कैसे दर्ज करें?

6. महिला सशक्तिकरण समिति का गठन.

7. समिति के कार्य.

8. समिति की कार्य योजना.

1. प्रस्तावना

महिलाएं भारतीय समाज के महत्वपूर्ण अंग के रूप में शिक्षा, राजनीति, प्रशासनिक, कार्मिक, औद्योगिक, चिकित्सा, खेल, अर्धसैनिक, सेना एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान कर राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देती आ रही हैं।

हमारी ऐसी मान्यता है कि महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा। इसी के मद्देनजर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में Articlle 14, 15, 21, 19 (A)g एवं 32 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर देश की लगभग आधी आबादी/ महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए समन्वित, संगठित प्रयास हो यह आवश्यक है क्योंकि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई गई शासकीय और गैर शासकीय योजनाओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। हम महाविद्यालय में कार्यरत महिलाओं के साथ-साथ छात्राओं को भी उचित एवं योग्य वातावरण प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं एवं छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शक्तिशाली बनाना, शोषण मुक्त और उत्पीड़न मुक्त बनाना है। इसी उद्देश्य पूर्ति की कड़ी में महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण नीति सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालयीन प्राध्यापकों ने इसे गंभीरता से लिया और उचित आकार प्रदान किया। मैं महिला सशक्तिकरण समिति सहित उन सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि नीति छात्राओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगी।

2.महिला सशक्तिकरण नीति (women Empowerment policy)–

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 के अनुसार किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक यंत्रणा मौलिक अधिकारों, लिंग समानता, जीने के अधिकारों व स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 19 (A)g के अनुसार हर महिला अपना मनचाहा व्यापार या कैरियर चुनने व करने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक शोषण उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 32 के अंतर्गत महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम की छात्राओं और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही लिंग आधारित भेदभाव व उत्पीड़न से बचाव हेतु संवेदनशील एवं सजग है। महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण समिति गठित है, जो सक्रियता से कार्यरत है।जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। इस समिति को दिशा निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से ही महाविद्यालय की महिला सशक्तिकरण नीति का निर्धारण किया गया है।

3. यौन उत्पीड़न क्या है?

किसी भी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया ऐसा आचरण जिसमें बातचीत या स्पर्श या किसी अन्य तरीके से महिला के सम्मान को ठेस पहुंचती है। जिसके कारण वह अपने कार्यस्थल या महाविद्यालय परिसर में स्वतंत्र व निर्भीक रूप से विचरण कर अपना कार्य करने में असुविधा महसूस करती है अथवा जिससे उसकी कार्यक्षमता तथा मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है।

लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव जिसके कारण अयोग्य होने पर भी उसे किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित किया जाए, यंत्रणा के अंतर्गत आता है।

4. प्रकोष्ठ तक कौन पहुंच सकता है तथा प्रकोष्ठ किस की सहायता कर सकता है?

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम की हर छात्रा, महिला कर्मचारी, प्राध्यापक चाहे वह दैनिक वेतन भोगी हो, स्थाई हो या अस्थाई रूप से नियुक्त है, इस समिति को अपनी बात, अपने साथ हुई घटनाओं को मौखिक या लिखित रूप से बता सकती है व समिति के माध्यम से न्याय की गुहार लगा सकती है।

5. शिकायत कैसे दर्ज करें?

पीड़िता अपनी शिकायत समिति को मौखिक रूप से या स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित रुप से ईमेल द्वारा भी प्रेपित कर सकती है। शिकायतकर्ता का नाम व पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा, जब तक कि शिकायतकर्ता स्वयं इसे उजागर करने के लिए न कहे।

6. महिला सशक्तिकरण समिति का गठन

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में महिला छात्र सशक्तिकरण समिति का गठन शासन के निर्देशानुसार किया जाता है, जिसमें 01 वरिष्ठ महिला प्राध्यापक संयोजक, 05 महिला प्राध्यापक सदस्य एवं 02 छात्राएं सदस्य होते हैं।

7. समिति के कार्य

(1) महाविद्यालय की छात्राओं/ महिलाओं को सुरक्षित व सहयोगी वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करना ताकि वे निर्भीकता एवं सजगता से अपना कार्य कर सकें। उनके एवं महाविद्यालय के विकास एवं उन्नति में स्वस्थ परंपरा कायम हो, हर कार्य एवं क्षेत्र में उनकी बराबर भागीदारी हो।

(2) यह सुनिश्चित करना कि महाविद्यालय में किसी छात्रा, महिला कर्मचारी, शिक्षकों के साथ कोई मानसिक एवं शारीरिक दुर्व्यवहार न हो। उनके मान-सम्मान या प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे।

(3) कोई दुर्व्यवहार या उत्पीड़न संबंधी घटना घटने या संज्ञान में लायी जाने पर उसका निष्पक्ष एवं शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करना।

(4) छात्राओं/ महिलाओं को अपने साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के अपराध को चुपचाप सहन करने की बजाय प्रकोष्ठ के माध्यम से न्याय हेतु प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना ।

(5) छात्राओं/ महिलाओं में उनके प्रति होने वाले अनुचित व्यवहार का कठोरता से विरोध करने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की मानसिकता विकसित करना।

(6) महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, कर्मचारियों, एवं शिक्षकों को समय-समय पर जागरूक करना, समझाइश (विभिन्न व्यक्तियों द्वारा) देना कि ऐसा आचरण व व्यवहार जो महिलाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए, दंडनीय अपराध है।

(7) हर प्रकार की गतिविधियों से ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित करना, ऐसी मानसिकता व परंपराओं को प्रतिष्ठित करना, जहां छात्राओं/ महिलाओं का सम्मान प्रतिष्ठा व गरिमा का पूर्ण ध्यान, उचित व्यवहार से रखा जाए।

महाविद्यालय की ऐसी मान्यता है कि- इस नीति के अमल में लाने से महाविद्यालय अपने समस्त छात्र-छात्राओं कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच ऐसा वातावरण बनाए रखने में सफल होगा जो सभी एक- दूसरे से सद्भाव व सम्मान बनाए रखते हुए, समझदारी व सामंजस्य रखते हुए, अपने आचरण व्यवहार वाणी से मधुर संबंधों का निर्वहन करते हुए, शांत मन, दिल- दिमाग से निश्चिंत हो, अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व मेहनत से संपादित कर कार्यस्थल पर भी जीवन का सुकून, सुख व आनंद उठा सकें।

8. समिति की कार्य योजना-

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समिति की निम्न गतिविधियां सुनिश्चित की गई है:-

1. छात्राओं/ महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत कराने हेतु पोस्टर या पंपलेट्स आदि को महाविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर चस्पा करना।

2. विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यानों द्वारा नियमों व अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना।

3. विद्यार्थियों, सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों को स्त्री सम्मान हेतु प्रशिक्षित करना, संस्कारित करना।

4. गोपनीय या खुलकर काउंसलिंग द्वारा ऐसी घटनाओं को उनके मूल से ही नष्ट करने का प्रयास करना

।

5. समस्त सावधानियां बरतने के बावजूद अगर ऐसी घटना घट भी जाए तो समिति पीड़िता को सुनकर घटना की गोपनीयता बनाए रखते हुए न्याय संगत प्रक्रिया हेतु महाविद्यालय प्रधान को अनुशंसा करेगी।

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम प्राचार्य, पुलिस-प्रशासन व प्राध्यापकों की मदद से महाविद्यालय परिसर में ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित करने हेतु सार्थक प्रयास किए जाएंगे जिससे छात्राओं / महिलाओं को उनका सम्मान हर कार्य में समानता व निर्भीक होकर कार्य करने की, अपने विचारों को व्यक्त करने, व अपने जायज़ अधिकारों के लिए लड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। महाविद्यालय का इतिहास और परंपराएं भी नारी जाति के प्रति पूर्ण सम्मान की ओर इशारा करती है और भविष्य में भी इसके लिए कृत संकल्पित है।

प्राचार्य
शासकीय कला एवं विज्ञान
महाविद्यालय रतलाम, म. प्र.

Principal
Govt. Arts and Science College
Ratlam (M.P.)